## प्रेस नोट जनपद बागपत

**थाना कोतवाली बागपत दिनाँक 05.03.2026**

**थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 136/2026 धारा 191(2)/191(3)/190/195(1)/125/109/132/121(1) बीएनएस व 7 सीएल एक्ट से सम्बन्धित 06 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।**

**संक्षिप्त विवरण-**

दिनांक 04.03.2026 को थाना कोतवाली बागपत पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम लधवाड़ी में टंकी के सामने लधवाड़ी चौक पर दो पक्षों में आपस में झगड़ा हो रहा है तथा दोनों पक्ष एक-दूसरे पर पत्थरबाजी व लाठी-डंडों से मारपीट करते हुए अवैध असलाहों से फायरिंग कर रहे हैं। इस सूचना पर थाना कोतवाली बागपत पुलिस तत्काल मौके पर पहुँची तो देखा कि दो पक्षों में आपस में लड़ाई हो रही है तथा अफरा-तफरी का माहौल है। लगभग 15–20 व्यक्ति एक-दूसरे पर ईंट-पत्थर बरसा रहे हैं तथा दोनों पक्ष अपने-अपने हाथों में लाठी-डंडे व अवैध हथियार लिए हुए हैं और एक-दूसरे पर अवैध हथियारों से फायरिंग भी कर रहे हैं। पुलिस पार्टी ने मौके पर पहुँचकर दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया, परन्तु दोनों पक्षों ने एकराय होकर पुलिस पार्टी पर भी हमला कर दिया तथा जान से मारने की नियत से पुलिस पार्टी पर अवैध असलाहों से फायर किया और लाठी-डंडों से भी वार किया। साथ ही मकानों से ईंट-पत्थर भी पुलिस पार्टी पर बरसाने शुरू कर दिए, जिससे अफरा-तफरी मच गई और आस-पास के रहने वाले लोग भयभीत हो गए। उपरोक्त सभी व्यक्तियों द्वारा पुलिस पार्टी पर हमला करते हुए गाली-गलौच की व जान से मारने की धमकी दी गयी तथा सरकारी कार्य में बाधा डालना पाया गया। आस-पास के व्यक्तियों से पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि प्रथम पक्ष के 1. वीर भयंकर पुत्र अनंगपाल 2.

मोनू उर्फ वीरबहादुर पुत्र एमना कुमार 3. मनोज पुत्र सत्यपाल 4. विक्रात पुत्र प्रवीन 5. नीटू पुत्र महेन्द्र 6. रोहित पुत्र प्रहलाद 7. मोहित पुत्र प्रहलाद तथा द्वितीय पक्ष के 1. हरेन्द्र पुत्र इलम 2. साहिल उर्फ आयुष पुत्र हरेन्द्र 3. अनमोल पुत्र हरेन्द्र, समस्त निवासीगण ग्राम लधवाड़ी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत व अन्य 10–12 व्यक्ति अज्ञात उक्त लड़ाई में शामिल थे। इस संबध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 136/2026 धारा 191(2)/191(3)/190/195(1)/125 /109/132/121(1) बीएनएस व 7 सीएलए पंजीकृत किया।

**कार्यवाही-**

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 136/2026 धारा 191(2)/191(3)/190/195 (1)/125/109/132/121(1) बीएनएस व 7 सीएलए से सम्बन्धित 06 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-**

1-वीर भंयकर पुत्र अनंगपाल निवासी ग्राम लधवाडी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

2-रोहित पुत्र प्रहलाद निवासी ग्राम लधवाडी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

3-मोहित पुत्र प्रहलाद निवासी ग्राम लधवाडी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

4-मोनू पुत्र एमना कुमार निवासी ग्राम लधवाडी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

5-विक्रान्त पुत्र प्रवीण कुमार निवासी ग्राम लधवाडी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

6-हरेन्द्र पुत्र इलम निवासी ग्राम लधवाडी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.निरीक्षक श्री रामकुमार कुन्तल थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

2.उ0नि0 श्री चन्द्रभान सिंह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

3.उ0नि0 श्री अंकित चौहान थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

4.उ0नि0 श्री तहसीन खां थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

5.है0का0 632 विनोद कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

6.है0का0 818 इलियास अहमद थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

7.है0का0 391 सतपाल सिंह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

8.का0 40 अरूण कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

9.का0 873 आदित्य थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

10.का0 चा0 1120 धीरज थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

**प्रेस नोट जनपद बागपत**

**थाना कोतवाली बागपत दिनाँक 05.03.2026**

**थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 137/2026 धारा 191(2)/190/125/352/351(2)/115(2)/132/121(1) बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट से सम्बन्धित 04 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।**

**संक्षिप्त विवरण-**

दिनांक 04.03.2026 को थाना बागपत पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम मंवीकला में सूरज पुत्र धर्मवीर निवासी ग्राम मंवीकला थाना कोतवाली बागपत के साथ द्वितीय पक्ष के 1- रोहित पुत्र रमेश, 2- संदीप पुत्र रमेश, 3- सचिन पुत्र जयपाल व 4- दिनेश पुत्र जयपाल निवासीगण ग्राम मंवीकला थाना कोतवाली बागपत मारपीट व झगड़ा कर रहे हैं। उपरोक्त सूचना पर थाना कोतवाली बागपत पुलिस मौके पर पहुँची तो देखा कि सूरज पुत्र धर्मवीर निवासी ग्राम मंवीकला के साथ संदीप पुत्र रमेश निवासी ग्राम मंवीकला थाना बागपत मारपीट, गाली-गलौच व झगड़ा कर रहा है, जिसे पुलिस पार्टी द्वारा मौके पर ही समय करीब 22:15 बजे पकड़ लिया गया। पूछताछ के दौरान जब पुलिस पार्टी उक्त पकड़े गये व्यक्ति से पूछताछ कर रही थी, तभी इसके सगे भाई 1- रोहित पुत्र रमेश निवासी ग्राम मंवीकला थाना बागपत व इसके साथी 2- सचिन पुत्र जयपाल व 3- दिनेश पुत्र जयपाल समस्त निवासीगण ग्राम मंवीकला थाना बागपत तथा 8-10 पुरुष/महिला अज्ञात निवासीगण ग्राम मंवीकला थाना बागपत मौके पर आ गए और शोर-शराबा व गाली-गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी देने लगे इसके बाद उपरोक्त व्यक्तियों ने एकराय होकर जबरदस्ती करते हुए पकड़ गये संदीप को पुलिस पार्टी के कब्जे से छुड़ा लिया तथा आस-पास के

मकानों से पुलिस पार्टी पर ईंट-पत्थर बरसाने शुरू कर दिए, जिससे अफरा-तफरी मच गयी। उपरोक्त सभी व्यक्तियों द्वारा हमला, गाली-गलौच व जान से मारने की धमकी देते हुए सरकारी कार्य में बाधा डाली गई। इस संबध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागगत पर 137/2026 धारा 191(2)/190/125/352 /351(2)/115(2)/132/121(1)) बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट पंजीकृत किया गया।

## कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 137/2026 धारा 191(2) /190/125/352/351(2)/115(2)/132/121(1)) बीएनएस व 7 सीएलए अधि0 से सम्बन्धित 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

## गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-संदीप पुत्र रमेश निवासी ग्राम मवीकला थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

2-रोहित पुत्र रमेश ग्राम मवीकला थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

3-सचिन पुत्र जयपाल ग्राम मवीकला थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

4-दिनेश पुत्र जयपाल ग्राम मवीकला थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री राकेश कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

2-है0का0 492 विकेश कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

3-का0 1080 सचिन तेवतिया थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

4-है0का0 242 सचिन चौधरी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

# Meticulous Investigation & Prosecution

## BAGHPAT POLICE

**"ऑपरेशन कन्विक्शन" के क्रम में एनडीपीएस एक्ट के आरोपी अरशद को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 01 वर्ष के कठोर कारावास व 20,000 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा-**

अवगत कराना है कि वर्ष 2013 में अभियुक्त अरशद पुत्र अख्तर निवासी ग्राम हरचन्द पुर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत द्वारा 350 ग्राम चरस तस्करी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 646/2013 धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 23.02.2026 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज एफटीसी-2 जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त अरशद को दोषी पाते हुए 01 वर्ष के कठोर कारावास व 20,000 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

श्री दीपक कुमार एडीजीसी जनपद बागपत

मुख्य आरक्षी धर्मवीर कोर्ट पैरोकार थाना कोतवाली बागपत

@baghpatpolice baghpatpolice Baghpat Police